

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी
पत्रांक— 1256 / 33-1 / दिनांक, झांसी, अक्टूबर 24 2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग, ललितपुर।

विषय— जनपद ललितपुर में भौरट बांध निर्माण हेतु 209.807हेठो आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव का प्रेषण।

संदर्भ— आपका कार्यालय का पत्रांक—1455 / 13-1 दिनांक 22.10.2016

उपर्युक्त संदर्भित पत्र से आपने उक्त विषयक प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसका परीक्षण किया गया। पायी गई कमियां निम्न प्रकार हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—733 / 11सी दिनांक 02. 11.2012 द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आप द्वारा अलग से प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है। आपत्तियों का निराकरण Tabular Form में अंकित कर कवरिंग पत्र में ही लिखा जाना चाहिये तथा उसके नीचे प्रमाण पत्र अंकित किया जाये। आपत्तियों के बिंदुओं के निराकरण में मात्र पृष्ठ संख्या अंकित की गई है। इसे निराकरण की स्थिति स्पष्ट करते हुये पृष्ठ संख्या संशोधित कर अंकित की जाये।
2. प्रस्ताव में कई जगह आपके एवं प्रयोक्ता विभाग के कम्प्यूटर से अंकित पदनाम अंकित है। इनमें मोहर भी लगाई जाये।
3. आपत्ति का बिंदु सं0-13 पृष्ठ सं0-91 से शुरू होता है जबकि आपके द्वारा 92 अंकित किया गया है।
4. आपकी Site Inspection Report (पेज सं0 18) के पैरा-2 में RF के स्थान पर RE टाईप है। इसमें सुधार कर RF अंकित करते हुये इसमें tick करें। सुधार में अपने हस्ताक्षर करें।
5. प्रस्ताव के पेज नं0-110 के बाद पेज नं0-113 तक numbering नहीं है।
6. प्रस्ताव के पेज नं0-138 में FLUID लगाकर पेन से 71.340 अंकित है तथा अगले पैरा में ग्रामों के आगे भूमि शब्द पेन से अंकित है। इसे पुनः टाइप कराकर संलग्न करें।
7. प्रस्ताव पेज नं0-170 से पेज नं0-177 तक पेज नम्बर अंकित नहीं है। नम्बर अंकित करें।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संशोधित कर पुनः परीक्षण करते हुये यथाशीघ्र प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि कहीं कटिंग या Fluid लगा हो तो अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।

संलग्नक—प्रस्ताव पाँच प्रतियों में (मूल में)।

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी